C.N.R. No. UPST010019302026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-II, सुलतानपुर।

उपस्थित-विजय कुमार गुप्ता-II

(J.O. Code-UP1802)

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–623/2026

गालिब हुसैन पुत्र मकबूल अहमद, निवासी ग्राम लहिया जलपापुर, थाना-को० देहात, जिला-सुलतानपुर।

----------अभियुक्त

बनाम

राज्य ----------अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या-63/2026

धारा-127(2), 308(5),351(3),352,3(5),
61(2),316(3),115(2) बी०एन०एस०।
थाना-को० देहात, जिला-सुलतानपुर।

दिनांक-12.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त गालिब हुसैन पुत्र मकबूल अहमद की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में पैरोकार नूर हसन का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा मो० शमीम पुत्र स्व० शरीफ निवासी मानपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ का मूल निवासी है। प्रार्थी गरीब व कमजोर किस्म का आदमी है। प्रार्थी जीविका चलाने के लिए एक अर्टिगा कार लेकर भाड़ा पर चलाने का कार्य करता है। प्रार्थी के पड़ोसी गाँव विश्रूपुर के रहने वाले मकसूद पुत्र मकबूल बैपारी ने दिनांक 25-1-2026 को गाड़ी बुक कर प्रतापगढ़ चलने की बात कही प्रार्थी दोपहर लगभग 2 बजे मकसूद व उसके एक साथी को लेकर प्रतापगढ़ गया जहां पर मकसूद की महिला मित्र मिली जिसको गाड़ी में बैठाकर लेकर सुल्तानपुर चलने को कहा तो प्रार्थी दबाव में लेकर सुल्तानपुर गया वहा से फिर प्रतापगढ़ लेकर आया सबको छोड़ रानीगंज अपने घर आ गया प्रार्थी के पास दिनांक 28-1-26 को मकसूद की महिला साथी नसरीन नाम से फोन कर गाड़ी बुक करा बोली रानीगंज से सुल्तानपुर छोड़ना है। प्रार्थी ने शाम लगभग 6 बजे उक्त महिला को गाड़ी में बैठा कर सुल्तनापुर गया उसको छोड़ने के बाद प्रार्थी भाड़ा मांगने लगा तभी चार से पाँच अज्ञात लोग पहुंचे प्रार्थी को माँ-बहन की भद्दी -2 गाली देते हुए मारने पीटने लगे प्रार्थी कुछ समझ पाता उसके पहले सभी लोग मारते पीटते अगवा कर कमरे में लेकर चले गये सभी कपड़े उतार नग्न हालत प्रार्थी का वीडियो बनाया जिसमें दो लोगों के हाथ में पिस्टल थी प्रार्थी की मोबाईल लेकर फोनपे से किसी स्कैनर पर 1,07,520 रु0 डाल लिए और बैंक में ले जाकर सुल्तानपुर BOB में खाते से 3,30,000 रु0 अपने खाते में डलवा लिए और प्रार्थी को तीन दिन कमरे में बन्धक बनाकर मारते पीटते रहे और प्रार्थी को कहा पाँच लाख फिरौती मंगावो नहीं तो जान से मार डालेगे प्रार्थी 30-1-26 को वहां से मौका पाकर भाग निकला घर पहुंच परिजनो को घटना की जानकारी दी प्रार्थी डरा सहमा हुआ है आज घटना की जानकारी दे रहा प्रार्थी के पास खाते में जमीन बेचने और कार लोन के पैसे आए थे जिसकी जानकारी मकसूद को भी थी प्रार्थी के साथ हुई घटना मकसूद के द्वारा कराई गई है। प्रार्थी के साथ हुए घटना से वह बहुत परेशान

और हैरान है आरोपियो द्वारा प्रार्थी को धमकी दी अगर किसी को बताया और पुलिस के पास गया तो फर्जी रेप केस लगवा कर जेल में डलवा दूंगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कथन किया गया है कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा प्रार्थी का अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सक्षम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में न प्रस्तुत है न विचाराधीन है, न ही निस्तारित किया गया है। एफ०आई०आर० में प्रार्थी का नाम अंकित नहीं है। वादी मुकदमा के भूसा व्यवसायी होने के कारण प्रार्थी/अभियुक्त वादी मुकदमा को एवं वादी मुकदमा प्रार्थी को घटना के पूर्व से जानता पहचानता है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई घटना कारित की गयी होती तो वादी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को नामजद किया जाता। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी का मोबाइल फोन-पे से अथवा उसे ले जाकर उसके खाते से कोई भी तथाकथित घटना वाले दिन कृत्य नहीं किया गया तथा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादी की न कोई नग्न वीडियो बनायी गयी और न ही वादी मुकदमा को बन्धक बनाकर फिरौती की मांग की गयी। प्रार्थी मुकदमा उपरोक्त में जिला कारागार सुलतानपुर में निरुद्ध है। वह न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने तथा जमानत मुचलका प्रस्तुत करने को तैयार है। उसके भागने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते कथन किया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को माँ-बहन की भद्दी -2 गाली देते हुए मारने पीटने लगे तथा सभी लोग मारते पीटते अगवा कर कमरे में लेकर चले गये सभी कपड़े उतार कर नग्न हालत में वादी मुकदमा का वीडियो बनाया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने की याचना की है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त गालिब हुसैन पर सामान्य आशय के अग्रसरण में षड्यन्त्र रचकर व न्यायभंग करके वादी मुकदमा को कैद कर भय दिखाकर मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने व उद्यापन का आरोप लगाया गया है। एफ०आई०आर० में अभियुक्त का नाम अंकित नहीं है। अभियुक्त का नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार सुलतानपुर में निरुद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

7. अतः अपराध की प्रकृति, गम्भीरता, अपराध कारित करने में अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त गालिब हुसैन पुत्र मकबूल अहमद का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा **मु०-50,000/- (पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की एक स्थानीय जमानत प्रतिभू दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि-

1- अभियुक्त दौरान विचारण न्यायालय का सहयोग करेगें।

2- अभियुक्त गवाहों को प्रभावित नहीं करेगें।

3- अभियुक्त प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगें।

Sd/-

(विजय कुमार गुप्ता-II)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०-II

सुलतानपुर।

आशुलिपिकः-

अंकुर कुमार गौतम।